शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-१४/2017/5349/52-1-2016-1(118)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक २२ फरवरी, 2017**

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-पीलीभीत के विभिन्न विकास खण्डों में पाइप पेयजल योजना हेतु केन्द्रांश की अवशेष **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या-3/19(16)/2012-पी0पी0, दि0 06.11.2012 तथा दिनांक 20.09.2013 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-399/बावन-1-2012-1(142)/09, दिनांक 25.04.2013 तथा शासनादेश संख्या-जी0आई0-420/बावन-1-2013-1(121)/13, दिनांक 26 फरवरी, 2014 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद-पीलीभीत के विभिन्न विकास खण्डों में पाइप पेयजल योजना हेतु कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ** को नामित करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(16)/2012-पी0पी0, दिनांक 24.08.2016 से जनपद पीलीभीत की उक्त योजनाओं के लिए पूर्व नामित कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ** को प्रश्नगत कार्य को करने हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 4145.68 लाख के सापेक्ष कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 2577.31 लाख के सापेक्ष **द्वितीय किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 1288.62 लाख (रू0 बारह करोड अट्ठासी लाख बासठ हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 784.21 लाख (रू0 सात करोड चौरासी लाख इक्कीस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 2072.83 लाख (रू0 बीस करोड बहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 1000.00 लाख तथा अनुपूरक बजट रू0 3000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचतों तथा संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-09 के अनुरूप पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कर अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(केन्द्रांश-75, राज्यांश-25)										(रू0 लाख में)
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त के0/रा0	अवमुक्त **द्वितीय किश्त**		कुल अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पीलीभीत	मुदालिया गौसो अमरिया में पेयजल योजना	01	१८५.४९	१३९.१२	४६.३७	92.744	६९.५६	23.185	92.745
2	तदैव	गंझाडा बरखेडा में पेयजल योजना	01	१७८.७६	१३४.०७	४४.६९	89.38	६७.०३	22.345	89.375
3	तदैव	पहाडगंज बिसलपुर में पेयजल योजना	01	२७१.६४	२०३.७३	६७.९१	135.82	१०१.८६	33.955	135.815
4	तदैव	सरदार नगर अमरिया में पेयजल योजना	01	१८६.०२	१३९.५२	४६.५०	93.01	६९.७६	23.255	93.015
5	तदैव	मीरपुर वहानपुर तथा बिसालपुर में पेयजल योजना	01	३१७.१७	२३७.८८	७९.२९	158.59	११८.९४	39.646	158.586
6	तदैव	रायपुर बिचपुरी पूरनपुर में पेयजल योजना	01	२५७.०७	१९२.८०	६४.२७	128.54	९६.४०	32.14	128.54
7	तदैव	केसरपुर कलां पूरनपुर में पेयजल योजना	01	३६४.५४	२७३.४१	९१.१३	182.27	१३६.७०	45.57	182.27
8	तदैव	गोरा पूरनपुर में पेयजल योजना	01	२५७.०७	१९२.८०	६४.२७	128.53	९६.४०	32.132	128.532
(केन्द्रांश-50, राज्यांश-50)										
9	तदैव	**ब्लाक-अमरिया** के सरैनी तिरकुनिया में पेयजल योजना	01	२२१.२२	११०.६१	११०.६१	110.61	५५.३०	55.31	110.61
10	तदैव	**ब्लाक-अमरिया** के धुद्री में पेयजल योजना	01	२३९.४५	११९.७३	११९.७२	119.73	५९.८६	59.86	119.72
11	तदैव	**ब्लाक-अमरिया** के बर्हदुनवा में पेयजल योजना	01	२२५.४३	११२.७२	११२.७१	112.71	५६.३६	56.36	112.72
12	तदैव	**ब्लाक-अमरिया** के सुकटिया में पेयजल योजना	01	२१४.२१	१०७.११	१०७.१०	107.11	५३.५५	53.55	107.10
13	तदैव	**ब्लाक-पूरनपुर** के लोधीपुर में पेयजल योजना	01	२१६.५२	१०८.२६	१०८.२६	108.26	५४.१३	54.13	108.26

http://shasanadesh.up.nic.in

14	तदैव	**ब्लाक-पूरनपुर** के जादोपुर गहुलिया में पेयजल योजना	01	२३१.०३	११५.५२	११५.५१	115.52	५७.७६	57.755	115.515
15	तदैव	**ब्लाक-पूरनपुर** के सिमरिया महजरपुर में पेयजल योजना	01	३०३.९६	१५१.९८	१५१.९८	151.98	७५.९९	75.99	151.98
16	तदैव	**ब्लाक-पूरनपुर** के बावनपुरी भागीरथ में पेयजल योजना	01	२५७.६८	१२८.८४	१२८.८४	128.84	६४.४२	64.42	128.84
17	तदैव	**ब्लाक-पूरनपुर** के धरमगदरपुर में पेयजल योजना	01	२१८.४२	१०९.२१	१०९.२१	109.21	५४.६०	54.61	109.21
		योग=	**05**	**4145.68**	**2577.31**	**1568.37**	**2072.85**	**1288.62**	**784.21**	**2072.83**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 जल निगम** को हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को 03 माह में पूरा कर लिया जायेगा। कार्य को कुल अनुमोदित/स्वीकृत लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं निदेशक, उ0प्र0 जल निगम के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-2 प्रतियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमात्र-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-02 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- पाइप पेयजल योजना के सम्बन्ध में शासन के सम्बन्धित विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले पाइप पेयजल योजना के मानक, क्षेत्रफल आदि वही प्रभावी रहेंगे, जो परियोजना से सम्बन्धित मूल विभाग में निर्धारित हैं।

8- पाइप पेयजल योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- प्रश्नगत कार्य में होने वाली किसी अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा नियमित रूप से परियोजना का निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर शासन एवं निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के संज्ञान में लाया जायेगा।

11- अनुदानग्राही द्वारा परियोजना का पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा तथा यदि अवमुक्त धनराशि पर ब्याज अर्जित किया जाता है तो, उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से राजकोष में जमा कराया जायेगा।

12- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के0 50/रा0 50)-24-वृहत् निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा। यह धनराशि लेखा शीर्षक **"4202-शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-05-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य"** मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग कर की जायेगी।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-आर0ई0441/ई-11-102/दस-2016, दिनांक 09.02.2017 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-बी0एम0 प्रपत्र(मूलरूप में)</u>

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या 5349(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत पाइप पेयजल योजना के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

6- प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 जल निगम** को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से प्रश्नगत कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीना नाथ)
उप सचिव।

http://sirasonadesh.up.nic.in